न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:– कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या–169/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

छीतर पिता श्री नाथू जाति पिंजारा आयु बालिग पेशा काश्त निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

................प्रार्थीगण

विरूद्व

1. अख्तर हुसैन पिता श्री शौकत हुसैन जाति नीलगर आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. आबिद पिता श्री शौकत हुसैन जाति निलगर आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. अमाना पुत्री श्री शौकत हुसैन जाति निलगर आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
4. कनीज बेगम पत्नि शौकत हुसैन जाति निलगर आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
5. मोहम्मद पुत्र दीन मोहम्मद जाति निलगर आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
6. शब्बरी पुत्र शौकत हुसैन जाति निलगर आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
7. शहजाद पुत्र शौकत हुसैन जाति निलगर आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
8. बाबू मोहम्मद मंसूरी पिता श्री मांगीलाल जाति मंसूरी आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
9. हुसैन मोहम्मद पिता बाबू मो0 मसूंरी जाति मंसूरी आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
10. बरकत बी पिता श्री बाबू मो0 मंसूरी जाति मंसूरी आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
11. लक्ष्मीचंद पिता कवंर लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
12. शान्तिलाल पिता कंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
13. गुलाब बाई पत्नि कंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
14. उदा पिता किशना जाति चमार आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
15. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

............विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :– **श्री बलवीर सिंह जादौन।**

दिनांकः– 31.05.2022

–:आदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा बडौदिया प0ह0 बडौदिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 63 खसरा संख्या 80 रकबा 2.32 है0 भूमि प्रार्थी के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 80 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

पित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 11 से 13 व 15 के विरूद्व दिनांक 19.04.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 14 के विरूद्व दिनांक 31.05.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली पर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं ग्राम मौजा बडौदिया प0ह0 बडौदिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 63 खसरा संख्या 80 रकबा 2.32 है0 भूमि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़